रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

मा. भंवरलाल मेघवाल (माननीय मंत्री राज. सरकार) संरक्षक

यादराम मीणा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) संरक्षक

जे.पी. विमल (IAS Retd.) अध्यक्ष मो. 9414027400

अनिल गोठवाल (RPS Retd.) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9414248454

ई. आशाराम मीणा महासचिव मो. 9413380388

• उपाध्यक्ष:
बी.एल. बैरवा
राजपाल मीणा
अशोक सामरिया
जे.के. महरडा
हनुमान सिरसी
हरसहाय मीणा
भैरूलाल मीणा

• कोषाध्यक्ष:
अशोक मीणा

• सचिव:
प्रभुलाल बैरवा

• संयुक्त सचिव:
एस.के. बैरवा
श्रीमती अंजूरानी कराडिया
गणपति लाल
भगवान सिंह

• संगठन सचिव:
रामचरण महावर
करतार सिंह
प्रकाश डगला
लक्ष्मीनारायण वर्मा
नरेन्द्र अवस्थी
रामरूप मीणा
रविन्द्र जाटव

• विधि प्रकोष्ठ:
जी.एस. सोमावत
सतीश कुमार
सतपाल चांदोलिया
बाबूलाल बैरवा
आर.डी. मीणा
रमेश विमल

• महिला प्रकोष्ठ:
श्रीमती गोमा सागर
श्रीमती अलका वर्मा

• प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ:
रणजीत जाटव
सत्यनारायण जलुथरिया
छुट्टन लाल मीणा

• संभागीय कोर्डिनेटर:
बी.एल. भाटी (जोधपुर)
चेतराम रामपुरिया (अजमेर)
शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर)
मनोहर लाल मीणा (कोटा)
करण सिंह जाटव (भरतपुर)
पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक........................ दिनांक : ....

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली |

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य दिनांक 7 फ़रवरी 2020 को दिए गये निर्णय में अनुसूचित जाति, जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना मौलिक अधिकार नहीं है, के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु अतिशीघ्र अध्यादेश जारी करने एवं केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाकर अजा./जजा. के आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में डालने बाबत |

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण तत्कालीन संविधान निर्माण सभा तथा संसद द्वारा एससी/एसटी वर्गों के उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में मूल अधिकारों के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था ताकि इन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक उत्थान हो सके | इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके |

दिनांक 7 फ़रवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील न 1226/2020, मुकेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखंड सरकार व अन्य केस में कहा है कि एससी/ एसटी/ओबीसी वर्ग का सरकारी सेवाओं में आरक्षण मौलिक अधिकार (fundamental Right) नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों को आरक्षण देना संवैधानिक बाध्यता नहीं है | जिससे इन वर्गों का सरकारी सेवाओं में मूल आरक्षण खतरे में आ गया है एवं समस्त आरक्षण को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है | जबकि भारतीय संविधान के अनुसार समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 18 समानता के अधिकार के लिए है जिनमे अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के अजा./जजा नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है | अतः आरक्षण मौलिक अधिकार है |

महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विवेचना के नाम पर सुनाया गया यह निर्णय नही वरण मनमाना असंवैधानिक निर्णय है | जबकि संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद में में उल्लेखित अनुच्छेद 15, 16,16(4)(A) और 21 में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानते हुए आरक्षण का प्रावधान किया गया है |

भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 जो मौलिक अधिकार है अवसरों की समानता की बात करता है लेकिन अनुच्छेद 16(4)(A) इस नियम में छूट देता है कि राज्य अजा./जजा के नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए अजा./जजा के नागरिकों/कार्मिकों को सरकारी सेवा में पदोन्नति में आरक्षण दे |

वर्ष 1955 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 77वां संशोधन का अनुच्छेद 16 में नई धारा 16(4)(A) को जोड़ा गया था | अनुच्छेद 16(4)(A) के तहत एससी/एसटी वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था |

कार्यकारिणी सदस्य : श्री दिनेश चंद, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, किशन लाल एदलपुर, नवल किशोर बैरवा, होती लाल मीणा, कैलाश मीणा, सुभाष राठौड़, श्रीनारायण चन्द्रावल, डॉ. विजय लाल बैरवा, दीपचंद नागर, महेश कोयला, कैलाश मीणा, रमेश चन्द्र मीणा, महावीर प्रसाद खडकवाल, नीरज तोंगरिया, रामस्वरूप मीणा, अशोक कुमार मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा
युवा प्रकोष्ठ: जगमोहन मीणा, सोनू राम मीणा, सुभाष वर्मा, राजेश, भंवर लाल

Scanned by CamScanner

रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

मा. भंवरलाल मेघवाल	यादराम मीणा	जे.पी.विमल (IAS Retd.)	अनिल गोठवाल (RPS Retd.)	ई. आशाराम मीणा
(माननीय मंत्री राज. सरकार)	(पूर्व मुख्य न्यायाधीश)	अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव
संरक्षक	संरक्षक	मो. 9414027400	मो. 9414248454	मो. 9413380388

• उपाध्यक्षः
बी.एल. बैरवा
राजपाल मीणा
अशोक सामरिया
जे.के. महरडा
हनुमान सिरसी
हरसहाय मीणा
भैरूलाल मीणा
• कोषाध्यक्षः
अशोक मीणा
• सचिवः
प्रभुलाल बैरवा
• संयुक्त सचिवः
एस.के. बैरवा
श्रीमती अंजूरानी कराडिया
गणपति लाल
भगवान सिंह
• संगठन सचिवः
रामचरण महावर
करतार सिंह
प्रकाश डगला
लक्ष्मीनारायण वर्मा
नरेन्द्र अवस्थी
रामरूप मीणा
रविन्द्र जाटव
• विधि प्रकोष्ठः
जी.एस. सोमावत
सतीश कुमार
सतपाल चांदोलिया
बाबूलाल बैरवा
आर.डी. मीणा
रमेश विमल
• महिला प्रकोष्ठः
श्रीमती गोमा सागर
श्रीमती अलका वर्मा
• प्रचार प्रसार प्रकोष्ठः
रणजीत जाटव
सत्यनारायण जलुथरिया
छुट्टन लाल मीणा
• संभागीय कोर्डिनेटरः
बी.एल. भाटी (जोधपुर)
चेतराम रामपुरिया (अजमेर)
शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर)
मनोहर लाल मीणा (कोटा)
करण सिंह जाटव (भरतपुर)
पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक.....

दिनांक : .....

वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने पदोन्नति में एससी/एसटी वर्ग के कार्मिकों को आरक्षण के लिए 82 वां संविधान संशोधन किया एवं संविधान के अनुच्छेद 16(4)(A) को केंद्र सरकार द्वारा 85वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 16(4)(A) को सही वैध करार दिया जिसमे एससी/एसटी वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण के साथ साथ वरिष्ठता भी लागू की गयी।

महोदय मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इंद्रा सहानी के मामले में 9 न्यायधीशों की बेंच के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नही दिया जा सकता है व इसकी एससी/एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में कड़ाई से पालना की जाती रही है लेकिन देश की 15% सवर्ण आबादी को 50% से बढ़कर 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर संसद द्वार दिया गया तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको बहाल रखा गया। इसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया गया उसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की देश में 56% प्रतिशत जनसंख्या है। यह कैसा न्याय है। उच्च न्यायिक सेवा में एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व नगण्य होने के कारण न्यायालयों में इस प्रकार के आरक्षण विरोधी निर्णय हो रहे हैं।

देश की 85% सम्पदा व धन पर 15% सवर्ण लोगों का अधिकार है। समता आन्दोलन समिति तथा अन्य आरक्षण विरोधी संगठन धन व सम्पदा के बल बूते पर एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए न्यायालय में ले जाया जाता है। सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया जाता है लेकिन इनको एससी/एसटी उत्थान गवारा नहीं है।

उक्त निर्णय व न्यायालय के इस प्रकार के व्यवहार को लेकर राजस्थान राज्य ही नही वरन सम्पूर्ण देश के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में भारी असंतोष व रोष व्याप्त है। एससी/एसटी के अधिकारों को यदि इस प्रकार दबाया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

महोदय आपसे निवेदन है कि उक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु अतिशीघ्र अध्यादेश जारी कर तथा संसद में विधेयक लाकर अजा./जजा. के आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में डाला जाये। एससी/एसटी को उच्च न्यायिक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व मिल सके इसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाये साथ ही निजी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाये।

भवदीय

(ई. आशाराम मीणा)
महासचिव

(जे.पी.विमल rtd. IAS)
अध्यक्ष

कार्यकारिणी सदस्य : श्री दिनेश चंद, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, किशन लाल एवलपुर, नवल किशोर बैरवा, होती लाल मीणा, कैलाश मीणा, सुभाष राठौड़, श्रीनारायण चन्द्रावल, डॉ. विजय लाल बैरवा, दीपचंद नागर, महेश कोयला, कैलाश मीणा, रमेश चन्द्र मीणा, महावीर प्रसाद खडकवाल, नीरज तौंगरिया, रामस्वरूप मीणा, अशोक कुमार मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा
युवा प्रकोष्ठः जगमोहन मीणा, सोनू राम मीणा, सुभाष वर्मा, राजेश, भंवर लाल

Scanned by CamScanner